



भारत सरकार
Government of India
खान मंत्रालय
Ministry of Mines
भारतीय खान ब्यूरो
Indian Bureau of Mines

Mine Code: 38RAJ09005

पंजीकृत पावती
उल्लंघन पत्र
माखुपूरा औद्योगिक क्षेत्र,
Makhupura Industrial Area
अजमेर-305 002 (राजस्थान)
Ajmer- 305 002 (Rajasthan)
फैक्स नं 0145.2695202 फोन नं 2695165

संख्या : RAJ/CHT/LST-2 Vol-II

दिनांक : 05.09.2019

प्रेषित : मेसर्स जेके सीमेंट लिमिटेड,

जे.के. सीमेंट वर्क्स,

कैलाश नगर- 312617, निम्बाहेरा, जिला-चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)

ईमेल- maheem.kachhwaha@jkcement.com

विषय : Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your **Nimbahera JK Cement Limestone Mine** (M.L. 2/97, Lease area 403.1875 Hect.) in Chittaurgarh District of Rajasthan State.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 17.09.2019 by the undersigned in presence of Sh. Sohan Das Vairagi, Mine Manager:

| Rule No. | Nature of violation observed in detail |
|------------|--|
| Rule 11(1) | The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Modified Mining Plan (Approved on 19.02.2016) in chapter 2.0 Mining: - (i) Orientation of proposed benches have not been maintained as per approved proposals in North & South Pit of Murlia Block. (Refer Plate no. 7III M) (ii) Interburden dump was proposed between section lines ML9 to ML11 but actual dumping has been carried out between section lines ML7 to ML10. (Refer Plate no. 7III M). (iii) Ore to OB ratio proposal for the the year 2018-19 was 1:0.026 but actual it was 1:0.042, it shows that proportionate mine development has not been carried out. |

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत :

(क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय
डा. आर. गुर्जर
05/09/2019

(डी. आर. गुर्जर)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर ।
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर, राजस्थान ।
- 3 सहायक खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, निम्बाहेड़ा जिला-चित्तौड़गढ़ ।
- 4 रक्षित पत्रावली ।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो